

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाशा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्युजोबो)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-860/36-03-2019-931(न्युजोबो)/08 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की भूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर भूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते को 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 अंकों के ऊपर जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत अंक 341 अंकों पर दिनांक: 1.4.2021 से दिनांक 30.9.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की शीति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त- रुपये-5750/- प्रतिमाह मजदूरी वाले वाले अक्षराल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता भूल सूचकांक-341 पर दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-9-2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(341-218) X 5750-प्रतिमाह-3328/-

218

विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह भूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है:-

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह भूल मजदूरी रुपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रुपये में		दिनांक: 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	
			दिनांक 01.10.2020 से 31.0.2021 तक	दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अक्षराल	5750	3008	3328	9078	349
2	अर्धक्षराल	6025	3309	3660	9985	384
3	कुशल	7085	3706	4100	11185	430

नियोजन के नाम:-

1. स्तर की विनिर्माणशाला और स्तर उत्पाद(सायर और टफ़ूड सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. गिलास उद्योग।
4. वारिश पैपों (एरोटेड डिस्क) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लार्डवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. जंजी और निलक जंजी।
9. सिले शिताये पापड़ों की विनिर्माणशाला।
10. रीथ तटबन्ध के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं पुलों और तालाबों की खुदाई।
11. इन सभसे रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
13. इलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अनियोजन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सर्फर्स।
20. निजी पुस्तकालय।

42. जिल्दकारी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. फाटरी, सिरेमिक्स या सिंथेटिक।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा लघुगोम।
47. कपड़ा छापाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. प्लाब।
51. एथकरघा(सिलिके की सड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसावन के साधन या सिंथेटिक या साधुन का चूर्ण या प्रसावक दिनिर्माण।
53. ऊनी सम्बल बनाने के अतिष्ठान।
54. रसायनकारी।
55. एथकरघा उद्योग।
56. शक्ति प्राप्त करघा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएथर) बल्ब एचम कीज उत्पादों के निर्माण।
58. कपाज, गत्ता और पेंपर बोर्ड उद्योग।
59. ईंधन उद्योग।
60. तांबा उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के दिनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी/सुरक्षा कर्मियों जिन्होंने हथियार राहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हैं।
63. बुखारने और सफाई में नियोजन, जिसने सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत के निर्दिष्ट किन्दा-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. धरतु, आनगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हाइड्रेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एलएपीजी0 वितरण एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सिज, आर्टोदिगशा/टैम्पो एवं ट्रेवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. कनेबिल अपरेटर एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एनएनडीओ) एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विद्युत लक्ष्यन(विद्युत संधर्षन(सेवा शर्त)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किन्हे जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. होपर कटिंग सीलून एवं क्यूटी पार्शर(पुरुष एवं महिलाओं) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेंटर/अर्द्धकालीन ट्रेडिंग/टेलीकॉलिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
 संख्या 386-6 (परगना-1/मा०डब्ल्यू०)/15 दिनांक 11/5/2021

प्रतिनिधि-

1. जगदल क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, ए०ए० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अलगत करवें तथा अधिकों सेवायोजकों व उनको प्रतिनिधियों द्वारा भीगे जाने पर उपलब्ध करावें।